

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 8(32)राज/वाद/08 पार्ट-7

जयपुर, दिनांक: 04.07.2022


:: शुद्धि पत्रः

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 01.07.2022 में वर्णित सूची के क्रम सं0 23 के कॉलम संख्या 3 में अंकित "विशिष्ट लोक अभियोजक (पोक्सो), मेड़ता" के स्थान पर "विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा), मेड़ता" पढ़ा जावे।

हो  
(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि/विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण।
3. सम्बन्धित जिला कलक्टर.....।
4. सम्बन्धित विशिष्ट लोक अभियोजक।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी.....।
6. सहायक लेखाधिकारी-1/आहरण एवं वितरण अधिकारी, वादकरण।
7. सम्बन्धित कर्मचारी..... को पालनार्थ।
8. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

  
(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि